रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267974
CG-DL-E-26112025-267974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5228] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947
No. 5228] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2025

का.आ. 5405(अ).— जबकि मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड), जिसका पंजीकृत 1103-ए और 1103-बी, 11वीं मंजिल, हेमकुंट चैंबर, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "देवभूमि द्वारका, गुजरात में अपने 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/23/2025-PG दिनांकित 14.02.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "देवभूमि द्वारका, गुजरात में अपने 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड) ने स्थानीय समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 30.03.2025, राजस्थान पत्रिका (हिंदी में) दिनांक 30.03.2025, नोबत (गुजराती

में) दिनांक 31.03.2025, दिव्या भास्कर (गुजराती में) दिनांक 30.03.2025, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 03.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड) ने दिनांक 13.10.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर जनता से 1 (एक) टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा स्पष्टीकरण/उत्तर दिया गया है और शिकायतकर्ता से एनओसी प्राप्त हुई है, सिवाय इसके, भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई और टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "देवभूमि द्वारका, गुजरात में अपने 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. जेजीईएल (जेनरेशन स्विचयार्ड- ग्राम नाना भावड़ा, तहसील द्वारका, जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात में स्थित है) - जाम खंभालिया पीएस 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टावर पर)

(कुल लाइन की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 77-78 किलोमीटर (लगभग) को डी/सी टावरों पर एस/सी लाइन के रूप में लागू किया जाएगा और जाम खंभालिया पीएस (आईएसटीएस) छोर से 2-3 किलोमीटर (लगभग) को एम/सी टावरों पर एस/सी लाइन के रूप में लागू किया जाएगा)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन **गुजरात** के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र. सं.	**गाँव का नाम**	**तहसील**	**जिला**	**राज्य**
1	कोटा, कोल्वा, भटगाम, शक्तिनगर, कंडोरना, ताथिया, मांजा, ललिया/लालिया, भनखोखरी, रामनगर, भिंडा, विंजलपर, भरा बेराजा, मोटी खोखरी, जुवानगढ़, केशोद/केसोद, खजुरिया, माधुपुर, ठाकर शेरडी, भदथर/भड़थर, पिपरिया/पिपलिया, गोलण शेरडी, भातेल, मोवन, सिद्धपुर, भंडारिया, सेडा भड़थर/शेडा भड़थर, कोटडिया, दत्राणा, हादापुर/हंजदापर, लालुका, सोनारडी, नवा ताथिया, नवा विरमदाड/ विरमदाड, रामगढ़	खंभालिया	देवभूमि द्वारका	गुजरात
2	कनकपुर, कनकपरशेरडी/कनपर शेरडी, चपर, मेघपुर टिटोडी, गोकुलपुर, धुमथर/धुमथल, जामपर, मानपारा, सिदसरा, लहरगढ़ गढ़का, गढ़का/जामगढ़का, उदयपुर, पटेलका, भोपालका/भोपालका आर एस, खाखरड़ा/खाखर्दा, जुवानपुर, नंदाणा, केनेडी, रान, माडी, लिम्बडी, मांगलिया/मांगरिया, भाटिया, गागा, रणजीतपुर/रणजीतपर, महादेविया, मेवासा, पिंडारा, गुरगढ़/गुरगेट, बामनासा,	कल्याणपुर	देवभूमि द्वारका	गुजरात

	गोकलपर, भाटवडिया/भाटवाडिया, नवि मोवन, खिजदड़, नवा खिजदड़, शिवनगर, दामनगर, बटुडिया, धर्मशाला, श्रीनगर			
3	मारीपुर/ मेरीपुर, चरकला, वच्छु, लोवराली, दिनाकी/ढिनकी, तुपणी, अनियाली/अनिआरी, मोटा भावड़ा, कोराडा, नाना भावड़ा, मुलवासर, ध्रासनवेल, बरडिया, गोरिंजा/ गोरिंजाआर एस, नवी ध्रेवाड, जुनी ध्रेवाड़, ओखा मढ़ी, नवी मढ़ी, कुरंगा, भीमपुरा, लाडवा	द्वारका	देवभूमि द्वारका	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत, मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड) को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/65/2025-पीजी]
एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2025

S.O. 5405(E).— Whereas M/s Juniper Green Energy Limited (Formerly known as Juniper Green Energy Private Limited) having its registered address at 1103A & 1103B, 11th Floor, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place, New Delhi- 110019, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Juniper Green Energy Limited for its 300 MW Wind Power Plant in Devbhumi Dwarka, Gujarat".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/23/2025-PG dated 14.02.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Juniper Green Energy Limited for its 300 MW Wind Power Plant in Devbhumi Dwarka, Gujarat".

M/s Juniper Green Energy Limited (Formerly known as Juniper Green Energy Private Limited) had published notice for transmission scheme in local newspapers Indian Express (in English) dated 30.03.2025, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 30.03.2025, Nobat (in Gujarati) dated 31.03.2025, Divya Bhaskar (in Gujarati) dated 30.03.2025, and in Weekly Gazette of India dated 03.05.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Juniper Green Energy Limited (Formerly known as Juniper Green Energy Private Limited) has submitted an affidavit dated 13.10.2025 declaring that 1 (one) observation /representation from public on the proposed route alignment was received and the clarification/reply has been given by M/s Juniper Green Energy Limited (Formerly known as Juniper Green Energy Private Limited) and NOC have been received from the complainant, except this no further observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and Newspapers.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Juniper Green Energy Limited for its 300 MW Wind Power Plant in Devbhumi Dwarka, Gujarat". The following overhead line is covered under this scheme:

1. JGEL (Generation switchyard is situated in Village Nana Bhavda, Tehsil Dwarka, District Devbhumi Dwarka, Gujarat) – Jam Khambhaliya PS 220 kV S/c line (on D/c tower)

(The total line length is approx. 80 kms, out of which approximately 77-78 kms (approx.) would be implemented as S/c line on D/c towers and 2-3 kms (approx.) from Jam Khambhaliya PS (ISTS) end would be implemented as S/c line on M/c towers)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Gujarat**:

S No.	Name of Villages	Tehsil	District	State
1.	Kota, Kolva, Bhatgam, Shaktinagar, Kandorna, Tathiya/Tathia, Manza/Manjha, Laliya/Lalia, Bhankhokhari/Bhankhokhri, Ramnagar, Bhinda, Vinzalpar/Vinjhalpar, BharaBeraja, Moti Khokhari/Moti Khokhri, Juvangadh/Juvangad, Keshod/Kesod, Khajuriya/Khajuria, Madhupur, Thakar Sherdi, Bhadthar, Pipaliya/Pipariya, Golan Sherdi, Bhatel, Movan, Sidhpur, Bhandariya, ShedaBhadthar/Seda Bhadthar, Kotadiya, Datrana, Hanjdapar/Hadapur, Laluka, Sonardi, Nava Tathia, Viramdad /Nava Viramdad, Ramgadh	Khambhaliya	Devbhumi Dwarka	Gujarat
2.	Kanakpur, KanakparSherdi / KanparSherdi, Chapar, MeghpurTitodi, Gokulpur, Dhumthar/Dhrumthal, Jampar, Manpara, Sidsara, LahergadhGadhka, Gadhka/Jam Gadhka, Udepur/Udaipur, Patelka, Bhopalka/Bhopalka R S, Khakharda, Juvanpur/Juvanpar, Nandana,	Kalyanpur	Devbhumi Dwarka	Gujarat

	Kenedi, Ran, Madi, Limbdi, Mangariya/Mangalia, Bhatiya, Gaga, Ranjitpur/Ranjitpar, Mahadeviya/Mahadevia, Mevasa/Mewasa, Pindara, Gurgadh/Gurgat, Bamanasa/Bamnasa, Gokalpur/Gokapar, Bhatvadiya/Bhatvadia, Navi Movan, Khijdad, Nava Khijdad, Shivnagar, Damnagar, Batudia, Dharmashala, Shrinagar			
3.	Maripur/Meripur, Charakla, Vachhu, Lovrali/Lowrali, Dinaki/Dhinki, Tupni, Aniari/Aniyali, Mota Bhavda, Korada, Nana Bhavda, Mulvasar/Mulwasar, Dhrasanvel, Baradia, Gorinja/ Gorinja R S, Navi Dhrevad/Navi Dhrewad, Juni Dhrevad/Juni Dhrewad, Okha Madhi, Navi Madhi, Kuranga, Bhimpura, Ladwa	Dwarka	Devbhumi Dwarka	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Juniper Green Energy Limited (Formerly known as Juniper Green Energy Private Limited) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Juniper Green Energy Limited (Formerly known as Juniper Green Energy Private Limited) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/65/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.26 21:05:18 +05'30'